

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/कोविड-19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/701

भोपाल, दिनांक 27/05/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
5. अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन, म.प्र।
6. अध्यक्ष, आई.एम.ए., म.प्र।
7. अध्यक्ष, टी.एन.ए.आई, म.प्र।

विषय:- शासकीय/निजी स्वास्थ्य कर्मियों, अन्य विभागीय मैदानी कर्मों व कोविड-19 के पुष्ट रोगियों के लक्षण रहित घरेलू संपर्कों को Hydroxychloroquine Chemoprophylaxis का लाभ देने के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. संचालनालयीन पत्र क्र. आई.डी.एस.पी./692 भोपाल दिनांक 23/05/20
 2. भारत शासन की पुनरीक्षित निर्देश Advisory on the use of Hydroxychloroquine (HCQ) as prophylaxis for COVID-19 infection दिनांक 22/05/2020


विषयांतर्गत लेख है कि कोविड-19 के संबंध में आई.सी.एम.आर. द्वारा गठित National Task Force (NTF) द्वारा Hydroxychloroquine (HCQ) गोलीयों का उपयोग, उच्च जोखिम व लक्षित समूह में SARS-CoV-2 के संक्रमण की रोकथाम हेतु करने के संबंध की गई अनुशंसा एवं भारत शासन के पुनरीक्षित निर्देश दिनांक 22/05/2020 जारी किया गया है। तदनुसार, समस्त लक्षण रहित शासकीय/निजी स्वास्थ्य कर्मों जो कोविड-19 के कंटेन्मेन्ट तथा उपचार कार्य कर रहे हो तथा कोविड अस्पताल/विकासखण्ड के नॉन कोविड क्षेत्र अथवा नॉन कोविड अस्पतालों में कार्यरत समस्त लक्षण रहित स्वास्थ्य कर्मों, कोविड-19 के नियंत्रण हेतु कंटेन्मेन्ट जॉन में कार्यरत समस्त लक्षण रहित मैदानी कर्मों यथा सर्वेलेन्स कर्मों/पैरामिलिटरी/पुलिस कर्मों तथा कोविड-19 के पुष्ट केस के समस्त लक्षण रहित घरेलू 'संपर्कों' को Hydroxychloroquine Chemoprophylaxis का लाभ दिया जाना है।

निर्देशित किया जाता है कि:-

- संदर्भित पत्र क्र.1 में उल्लेखित Exclusion/Contraindications अनुसार HCQ का उपयोग (1) Retinopathy (2) Hypersensitivity to HCQ or 4-aminoquinoline compounds (3) G6PD deficiency (4) Pre-existing cardiomyopathy and cardiac rhythm disorders से रोगियों हेतु वर्जित है।
- औषधि का उपयोग 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं है।
- Hydroxychloroquine की गोलीयाँ मैदानी कर्मियों व कोविड-19 के पुष्ट रोगी के घरेलू 'संपर्कों' को चिकित्सकीय पर्यवेक्षण एवं सूचित सहमति (Informed Consent) प्राप्त करने के बाद ही दी जाये।
- Hydroxychloroquine गोलीयों हेतु निर्धारित डोज निम्नानुसार है:-

S. N.	Category of Personnel	Dosage
1	Asymptomatic household contacts of laboratory confirmed cases	400 mg twice a day on Day 1, followed by 400 mg once weekly for next 3 weeks; to be taken with meals
2	<ul style="list-style-type: none">All asymptomatic healthcare workers involved in containment and treatment of COVID-19 and asymptomatic healthcare workers working in non-COVID hospitals/non-COVID areas of COVID hospitals/blocksAsymptomatic frontline workers, such as surveillance workers deployed in containment zones and paramilitary/police personnel involved in COVID-19 related activities	400 mg twice a day on Day 1, followed by 400 mg once weekly for next 7 weeks; to be taken with meals


- उपरोक्त अनुसार कोविड-19 के कंटेन्मेन्ट तथा उपचार कार्य करने वाले समस्त शासकीय/निजी स्वास्थ्य कर्मी तथा नॉन कोविड अस्पताल/कोविड अस्पतालों के नॉन कोविड क्षेत्रों में कार्यरत समस्त लक्षण रहित शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक Hydroxychloroquine 400 mg गोलियाँ, की गणना की जाये।
- तदानुसार कोविड एवं नॉन कोविड अस्पतालों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या x 9 गोलियाँ प्रति कर्मचारी के मान से कुल आवश्यकता का आंकलन कर, निजी/शासकीय अस्पताल प्रभारियों द्वारा आवश्यक Hydroxychloroquine 400 mg गोलियाँ हेतु मांग पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत की जाये।
- प्राप्त मांग पत्र के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित संस्थानों को आवश्यक Hydroxychloroquine 400 mg गोलियाँ, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये।
- सचेत किया जाता है कि:-
 - निजी/शासकीय संस्था प्रमुख द्वारा अधीनस्थ संस्था के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को HCQ का वितरण सूचित सहमति प्राप्त करने के पश्चात कड़ी चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में ही दी जाये।
 - उपरोक्त औषधि केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रेसिकिप्शन पर ही दी जाये।
 - सेवन करने वाले व्यक्तियों को औषधि के प्रतिकूल लक्षण एवं संभावित दुष्प्रभावों (Potential Drug Interactions) के संबंध में चिकित्सक द्वारा दवा प्रारम्भ करने के पूर्व ही आवश्यक समझाईश दी जाये। उक्त दवा के उपयोग संबंधी समस्त उल्लेखित Contraindications के संबंध में की गई अनुशंसाओं का कड़ाई से पालन किया जाये।
 - यदि प्रोफाईलेक्टिक सेवन के पश्चात भी किसी मैदानी कर्मी में बुखार, खांसी/सांस की कठिनाई के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो, व्यक्ति की जाँच राष्ट्रीय दिशा निर्देश अनुसार सुनिश्चित की जाये एवं मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन किया जाये। कोविड-19 के उपरोक्त वर्णित लक्षणों के अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य लक्षण उत्पन्न हों तो, व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय परामर्श हेतु प्रेसक्राईबिंग चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी जाये।


 (फैज अहमद किदवई)
 स्वास्थ्य आयुक्त,
 मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड-19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/102
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

भोपाल, दिनांक 27/05/2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
8. प्रभारी, कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।


 आयुक्त स्वास्थ्य, 26/5
 मध्यप्रदेश